परिपत्र संख्या-डीजी 62 /2014

ए0एल0 बनर्जी
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश

1 तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊः सितम्बर 30,2014

प्रिय महोदय,

नकबजनी/चोरी की निरन्तर बढ़ती जा रही घटनायें निःसन्देह ही चिन्ता का विषय है, जिससे पुलिस की छवि भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। ऐसे घटित अपराधों में सम्पत्ति को काफी क्षति होती है। विशेषकर समाज के किसी भी वर्ग के साथ इस प्रकार की घटना घटित होना स्वभाविक है। चोरी होने पर समाचार पत्रों में ऐसे समाचार अपेक्षाकृत अधिक महत्ता के साथ प्रकाशित एवं प्रचारित होते है। चोरी की घटनाओं का अन्य अपराधों की तुलना में निस्तारण किये जाने में अपेक्षित रूचि नहीं ली जाती है।

इस प्रकार चोरी के अधिकांश अभियोगों में स्थानीय पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित करते हुए मामलों को समाप्त कर दिया जाता है। ऐसे अपराधों को अत्यन्त सामान्य प्रकृति के अपराध के रूप में लिए जाने के फलस्वरूप पुलिस द्वारा इन अपराधों के अनावरण में पर्याप्त अभिरूचि लेकर मामलों के तह तक पहुँचने का प्रयास नहीं किया जाता है, जिससे अन्ततः अपराधियों को ही बढ़ावा मिलता है। पुलिस की यह शिथिलता अपराधियों में और अधिक दुःसाहस के साथ अपराध करने के लिए प्रेरित करता है, जिसकी परिणति नकबजनी/चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

आप अवगत है कि नकबजनी/चोरी की घटना से न केवल आम नागरिक की दिनचर्या प्रभावित होती है अपितु प्रदेश के आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा शान्ति व्यवस्था भी प्रभावित है। नकबजनी/चोरी सम्बन्धी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निम्नांकित कार्यवाही सुनिश्चित की जायः-

- ऐसे अपराधों में विगत वर्षों में गिरफ्तार/प्रकाश में आये अपराधियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय और आवश्यकतानुसार उनके विरूद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाय।
- चोरी के माल के खरीद-फरोख्त करने वाले व्यक्तियों का चिन्हांकन कर उनके विरूद्ध प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाय तथा पूर्व में पकड़े गये ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जाय।
- जिन स्थलों पर ऐसे अपराध निरन्तर हो रहे हो या इनकी संख्या में वृद्धि हो रही हो तो वहाँ पुलिस टीम द्वारा प्रभावी गश्त की जाय और विशेष रूप से चौकसी बरती जाय।
- ऐसे अपराधों में संलिप्त अपराधियों के पकड़े जाने पर उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, जिससे गिरोह एवं उसकी कार्य प्रणाली (Modus Operandi) गिरोह के क्षेत्र आदि ज्ञात कर कार्यवाही की जाय।

प्रकार के अपराध में संलि ा अपराधियों तथा गिरोह के सदस्यों की गि रफ्तारी तथा सम्पत्ति की बरामदगी हेतु प्रभावी कार्यवाही कराये । मासिक अपराध गोष्ठी में आप सभी क्षेत्राधिकारियों/थानाध्यक्षों को निर्देशित करें कि इस प्रकार के अपराधों के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोगों का गहनता से विवेचना करें तथा संलिप्त अभियुक्तों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करें एवं क्षेत्राधिकारियों को निर्देशित करें कि मुख्यालय स्तर से विकसित **HEINOUS CRIME MONITORING SYSTEM** में नकबजनी/चोरी के फीड किये गये **तीन लाख व तीन लाख से अधिक मूल्य के चोरी** गये सम्पत्ति के पंजीकृत अभियोगों का स्थलीय निरीक्षण अवश्य करें तथा **HEINOUS CRIME MONITORING SYSTEM** में इस प्रकार के फीड किये गये अभियोगों का निस्तारण होने तक मानिटरिंग अवश्य करते रहें।

उपरोक्त दिशा निर्देशों का पूर्ण निष्पक्षता एवं कड़ाई से अनुपालन अवश्य करेगें।

भवदीय,

(ए0एल0 बनर्जी)

समस्त पुलिस वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/
पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।